राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अयोध्या।

नीलामी–सूचना

पत्रांकः– भण्डार/ निष्प्रयोज्य–नीलामी/2023–24/ 1505 दिनांक– 25-10-2023

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अयोध्या की निष्प्रयोज्य घोषित मशीनें /उपकरण/हैण्डटूल/फर्नीचर/लोहे का स्क्रैप/तॉबा/अल्मूनियम व अन्य कच्चे माल का स्क्रैप इत्यादि जहॉं जैसी स्थिति में है, की नीलामी दिनांक– 08.11.2023 को अपरान्हन 02.00 बजे नीलामी समिति द्वारा किया जायेगा।

क्रमांक	निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण	नीलामी का स्थान	दिनांक	निर्धारित धरोहर धनराशि
1	निष्प्रयोज्य मशीनें/उपकरण/हैण्डटूल्स/फर्नीचर	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अयोध्या।	08.11.2023 समय अपरान्हन 02.00 बजे	रू 55,000/– मात्र
2	लोहा/तॉबा/पीतल/अल्यूमिनियम/ लकडी/साइन स्क्रैप इत्यादि			

नियम व शर्तेः–

1. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता फर्मो द्वारा निर्धारित धरोहर धनराशि दिनांक– 08.11.2023 को दोपहर 12–00 बजे से पूर्व किसी कार्य दिवस में संस्थान के कैशियर के पास नकद जमा करना होगा।
2. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक फर्म द्वारा कैशियर से धरोहर धनराशि की जमा रसीद के साथ फर्म का जी0एस0टी0 न0, पैन न0, फर्म का न्यूनतम टर्नओवर का प्रमाण पत्र जो कि न्यूतम रू0 50 लाख हो तथा भारतवर्ष के किसी जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र जो कि 06 माह से अधिक पुराना न हो, पहचान पत्र व पूर्ण पत्राचार के पते सहित सम्बन्धित प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रतियॉं (जो फर्म द्वारा स्वंय सत्यापित हो) मोबाइल न0 एवं ई–मेल का पता (यदि उपलब्ध हो) के विवरण के साथ, तथा बोली में भाग लेने हेतु फर्म से अधिकृत व्यक्ति की दो नवीनतम पास–पोर्ट फोटो के साथ प्रधानाचार्य से आवेदन के माध्यम से बोली में भाग लेने की अनुमति प्राप्त करना होगा।
3. नीलामी में भाग लेने आये प्रतिनिधि को प्रधानाचार्य द्वारा जारी फोटोयुक्त नीलामी पास के आधार पर ही भाग मिलेगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति /व्यक्तियों को नीलामी परिसर में प्रवेश नही दिया जायेगा, पासकर्ता को नीलामी के अन्तिम समय तक जारी पास अपने पास रखना आवश्यक है।
4. निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची व स्क्रैप इत्यादि का विवरण संस्थान के भण्डार में किसी कार्य दिवस में तथा संस्थान की बेबसाइट www.gitifaizabad.com तथा www.ayodhya.nic.in पर देखा जा सकता है।
5. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता की बोली को यदि संस्थान की नीलामी समिति द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो उसे मौके पर ही उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर धनराशि की सम्मिलित करते हुए) नकद जमा करना होगा, अन्यथा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
6. निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0, लखनऊ द्वारा या अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त 10 दिनों के अन्दर बोलीदाता को अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि तथा नियमानुसार देय जी0एस0टी0 कर को संस्थान में जमा करते हुए सम्बन्धित सामग्री को संस्थान के भण्डार से स्वंय के व्यय पर उठाना होगा। स्वीकृत उपरान्त उक्त अवधि 10 दिनों में यदि फर्म द्वारा शेष धनराशि एवं जी0एस0टी0 जमा नही किया जायेगा तो उसके द्वारा जमा 25 प्रतिशत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
7. निर्धारित अवधि में संस्थान के भण्डार से सामग्री न प्राप्त करने पर उसकी किसी प्रकार की क्षति होने पर संस्थान जिम्मेदार नही होगा।
8. कोई भी व्यक्ति /बोलीदाता किसी भी अस्त्र शस्त्र ,लाठी–डंडे के साथ संस्थान परिसर में प्रवेश नही करेगा। यदि उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र है तो इसकी सूचना संस्थान के सुरक्षाधिकारी को देते हुये उसे सुरक्षाधिकारी के पास जमा करना होगा, तदोपरान्त ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता ळें
9. यदि किसी कारण उक्त नीलामी के दिनांक को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी प्राकृतिक आपदावों के कारण नीलामी नहीं हो पाती है, तो अगले कार्यदिवस में नीलामी निर्धारित समय पर प्रारम्भ की जायेगी।
10. बिना किसी कारण बताये किसी भी बोली को या समस्त बोलियों को या समस्त नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने /स्थगित करने/सामग्री को अलग–अलग टुकड़ों/लाटों में नीलामी करने का अधिकार संस्थान की नीलामी समिति को होगा। विवादित न्यायालय अयोध्या क्षेत्र होगा।

प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
अयोध्या